सामान्य निर्देश

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्यानुभव शिक्षा के अंशकालिक अनुदेशकों (वर्ष 2015–16) के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन भरे जाने हेतु सामान्य निर्देश।

- अंशकालिक अनुदेशकों के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की प्रकिया की विस्तृत जानकारी शासनादेश संख्या 5255/79–5–2014–29/2009 टी0सी0 शिक्षा अनुभाग–5 दिनांक 25 दिसम्बर, 2014 में दी गई है जो बेबसाइट **http://upbasiceduparishad.gov.in** पर उपलब्ध है।
- सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समाचार पत्रों में 30–09–2014 की छात्र संख्या के आधार पर स्वीकृत रिक्त पदों की सीमा के अन्तर्गत ही पद विज्ञाप्ति कराये जायेगें।
- अंशकालिक अनुदेशकों का चयन उन्हीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु किया जायेगा जहां छात्रों की संख्या 100 से अधिक होगी।

शैक्षिक योग्यता:–

- वे ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है जिनके पास शासनादेश दिनांक 25 दिसम्बर 2014 में दी गई शैक्षिक अर्हता के अनुसार कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, तथा कार्यानुभव शिक्षा के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा, गृहशिल्प एवं सम्बन्धित कला, कृषि शिक्षा तथा उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण की मान्य शैक्षिक अर्हता होगी।
- कार्यानुभव शिक्षा में केवल 4 विषयों में ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो कम्प्यूटर शिक्षा, गृहशिल्प एवं सम्बन्धित कला, कृषि शिक्षा तथा उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण विषय है।
- शासनादेश दिनांक 25 दिसम्बर 2014 में दी गई व्यवस्था के अनुसार कार्य शिक्षा के लिये कुल स्वीकृत रिक्त पदों में से 35% कम्प्यूटर शिक्षा के अनुदेशक, 35% गृहशिल्प एवं सम्बन्धित कला के लिए 15% , कृषि शिक्षा तथा 15% उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण के लिए अनुदेशक चयनित किये जायेगें।

आयु :–

- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जुलाई, 2014 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी।
- भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दी जायेगी।
- विकलांग अभ्यर्थियों के मामलों में उच्चतर आयुसीमा 15 वर्ष अधिक मान्य होगी।
- प्रत्येक जनपद की विषयवार पृथक–पृथक वरीयता क्रम में वर्षवार एवं श्रेणीवार हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक तथा सम्बन्धित विषय की प्रोफेशनल डिग्री/डिप्लोमा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी।
- यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्त प्रतिशत के योग का औसत समान होगा तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी। यदि आयु भी समान होगी तो ऐसी दशा में अंग्रेंजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जायेगी।
-

आरक्षण :-

- चयन तिथि को राज्य सरकार के विद्यमान आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

अधिवास :-

- अभ्यर्थी को उसी जनपद का निवासी होना अनिवार्य है। काउन्सिलिंग के समय सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग के समय अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

आवेदन शुल्कः-

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिये आवेदन शुल्क की धनराशि रू0 100/- तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिये आवेदन शुल्क रू0 200/- होगा।
- विकलांग अभ्यार्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क के अतिरिक्त बैंक को कोई अतिरिक्त सेवा शुल्क का भुगतान नहीं करना है।

मानदेय

- अंशकालिक अनुदेशकों को न्यूनतम मानदेय प्रतिमाह रू0 7000/- देय होगा।

कार्यकाल

- अंशकालिक अनुदेशकों का कार्यकाल 11 माह का होगा एवं किसी भी शैक्षिक सत्र में 31 मार्च को स्वतः समाप्त हो जायेगा अंशकालिक अनुदेशकों को 31 मार्च तक मानदेय देय होगा।
- अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष संविदा समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व प्रारम्भ की जायेगी एव जिलाधिकारी की अनुमति से अगले शैक्षिक सत्र के लिए नवीनीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

अवकाश

- अंशकालिक अनुदेशकों को वर्ष में अधिकतम 10 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा।

आवदेन हेतु समय -सारिणी

- जनपदों द्वारा दी गई विज्ञापन की तिथि से रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होगा।
- आवेदन पत्र के रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि 29-1-2015 होगी।
- ई- चालान अथवा आनलाइन द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 31-01-.2015 होगी।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 03-02-2015 निर्धारित की गई है।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार किये जाने की अन्तिम तिथि 18-02-2015 निर्घारित की गयी है।
- एन0आई0सी0 द्वारा आवेदन पत्रों के आधार पर मेरिट सूची (साफ्टवेयर जनित मेरिट के साथ) दिनांक 02-03-2015 निधारित की गयी है।
- जिला चयन समिति द्वारा काउन्सिलिंग की तिथि 10, 11, 12-03-2015 निर्धारित की गयी है।
- जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने की तिथि 19-03-2015 निर्धारित की गयी है।
- अंशकालिक अनुदेशकों की तैनाती की तिथि 25-03-2015 निर्धारित की गयी है। है।
- आंवटित विद्यालय में अंशकालिक अनुदेशकों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 01-04-2015 निर्धारित की गयी है।